<u>राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2025</u>

<u>मामलों का त्वरित, सुलभ एवं आपसी सहमति से समाधान का सुनहरा अवसर</u>

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के निर्देशानुसार *राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान* का आयोजन किया जा रहा है, जो **30 सितंबर 2025** तक संचालित किया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों का *आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराना है,* जिनमें समाधान की संभावना अधिक है। इस प्रक्रिया से वादकारियों को त्वरित न्याय मिलेगा, साथ ही समय एवं धन की बचत भी होगी।

श्री दिनेश कुमार गौतम, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा बताया गया कि इस अभियान के अंतर्गत जिन प्रमुख मामलों को शामिल किया गया है, उनमें शामिल हैं:

- वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले
- मोटर दुर्घटना दावा याचिकाएं (MACT)
- घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण
- चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामले
- वाणिज्यिक विवाद
- लघु आपराधिक प्रकरण
- उपभोक्ता विवाद
- ऋण वसूली से संबंधित मामले
- संपत्ति के बंटवारे से संबंधित वाद
- भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले
- अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरण

<u>मध्यस्थता का उद्देश्य</u>

मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों को आपसी संवाद एवं समझ से

समाधान की ओर प्रेरित करना है। यह प्रक्रिया न्यायालय की तुलना में अधिक *तेज़, गोपनीय एवं कम खर्चीली* होती है। मध्यस्थता से न केवल विवादों का समाधान होता है, बल्कि पक्षकारों के बीच संबंधों की भी रक्षा होती है।

<u>सार्वजनिक अपील</u>

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा आमजन एवं विधि व्यवसायियों से अपील की गई है कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं तथा मध्यस्थता के माध्यम से अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराएं। इच्छुक व्यक्ति या पक्षकार *अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में जमा कर* इस जनहितकारी प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं।

सुलह समझौता के आधार पर प्रकरण निस्तारित करने पर जोर

जनसंदेश न्यूज

प्रयागराज। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेर्शानुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना है जिससे

30 सितंबर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान

वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा व उनके धन व समय की भी बचत होगी। दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, लघु आपराधिक मामले, उपभोक्ता विभाग के मामले, ऋण वसूली के प्रकरण, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले वह अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, बिना अदालत जाये। मध्यस्थता का प्राथमिक लक्ष्य विवादों को आपसी सहमति से हल करना, दोनों पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और

समझने में मदद करना होता है। मध्यस्थता, पक्षों के बीच संबंधों की बनाए रखने में मदद करती है एवं पक्षों को अपने विवादों को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया आमतौर पर गोपनीय होती है, जिसका मतलब है कि जो बातें मध्यस्थता में कही जाती है, वे सार्वजनिक नहीं होती है। मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही की तुलना में कम खचीर्ली होती है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं विधि व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में जुलाई माह के अंदर जमा कराकर इस अभियान का लाभ उठायें। यह जानकारी दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रयागराज, ने दी।

इलाहाबाद एक्सप्रेस | **उत्तर प्रदेश**

30 सितम्बर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान

इलाहाबाद एक्सप्रेस

प्रयागराज। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना है जिससे वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा व उनके धन व समय की भी बचत होगी। दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा एवं इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना दावे के मामले , घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले , लघु आपराधिक मामले, उपभोक्ता विभाग के मामले, ऋण वसूली के प्रकरण, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले,

भूमि अधिग्रहण के मामले वह अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, बिना अदालत जाये। मध्यस्थता का प्राथमिक लक्ष्य विवादो को आपसी सहमति से हल करना, दोनो पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और समझने में मदद करना होता है। मध्यस्थता, पक्षो के बीच संबंधों की बनाए रखने में मदद करती है एवं पक्षों को अपने विवादों को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया आमतौर पर गोपनीय होती है, जिसका मतलब है कि जो बातें मध्यस्थता में कही जाती है, वे सार्वजनिक नहीं होती है। मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही की तुलना में कम खर्चीली होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं विधि व्यवसायियों से अपील है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में माह जुलाई 2025 के अंदर जमा करा कर इस अभियान का लाभ उठाकर एवं अपने मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के आधार पर करा सकते हैं।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत सुलह योग्य प्रकरणों का निस्तारण,30 सितंबर तक मौका

युनाइटेड भारत

प्रयागराज । उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना है जिससे वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा व उनके धन व समय की भी बचत होगी। दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा एवं इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर

● राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत ऐसे प्रकरण जिनमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो ● 30 सितंबर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान

दुर्घटना दावे के मामले , घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले , लघु आपराधिक मामले, उपभोक्ता विभाग के मामले, ऋण वसूली के प्रकरण, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले वह अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, बिना अदालत जाये। मध्यस्थता का प्राथमिक लक्ष्य विवादो को आपसी सहमति से हल करना, दोनो पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और समझने में मदद करना होता है। मध्यस्थता, पक्षो के बीच संबंधों की बनाए रखने में मदद करती है एवं पक्षों को अपने विवादों को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया आमतौर पर गोपनीय होती है, जिसका मतलब है कि जो बातें मध्यस्थता में कही जाती है, वे सार्वजनिक नहीं होती है। मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही की तुलना में कम खर्चीली होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं विधि व्यवसायियों से अपील है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में माह जुलाई 2025 के अंदर जमा करा कर इस अभियान का लाभ उठाकर एवं अपने मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के आधार पर करा सकते हैं।

राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत ऐसे प्रकरण जिनमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो, को कराए निस्तारण

30 सितंबर तक चलेगा मध्यस्थता अभियान

प्रयागराज।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के तहत मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरण जिसमें सुलह समझौता के आधार पर समाधान की संभावना अधिक हो तो ऐसे प्रकरणों को उक्त अभियान के अंतर्गत मध्यस्थता के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना है जिससे वादकारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा व उनके धन व समय की भी बचत होगी।दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा बताया गया कि यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा एवं इस अभियान के अंतर्गत न्यायालय में लंबित वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना दावे के मामले , घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले , लघु आपराधिक मामले, उपभोक्ता विभाग के मामले, ऋण वसूली के प्रकरण, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले वह अन्य उपयुक्त दीवानी प्रकरणों को शामिल किया गया है। मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है, बिना अदालत जाये। मध्यस्थता का प्राथमिक लक्ष्य विवादो को आपसी सहमति से हल करना, दोनो पक्षों को एक-दूसरे की बात सुनने और समझने में मदद करना होता है। मध्यस्थता, पक्षो के बीच संबंधों की बनाए रखने में मदद करती है एवं पक्षों को अपने विवादों को स्वयं हल करने का अधिकार देती है। मध्यस्थता की प्रक्रिया आमतौर पर गोपनीय होती है, जिसका मतलब है कि जो बातें मध्यस्थता में कही जाती है, वे सार्वजनिक नहीं होती है। मध्यस्थता अदालत की कार्यवाही की तुलना में कम खर्चीली होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन से एवं विधि व्यवसायियों से अपील है कि वे अपने-अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में माह जुलाई 2025 के अंदर जमा करा कर इस अभियान का लाभ उठाकर एवं अपने मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के आधार पर करा सकते हैं। यह जानकारी दिनेश कुमार गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रयागराज द्वारा प्रदान की गई।